

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

—: प्रेस-नोट :-

दिनांक : 22.07.2016

आयोग द्वारा राज.राज्य एवं अधीनस्थ संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2013 एवं सहायक अभियोजन अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा, 2015 (Non TSP) के साक्षात्कार निम्नानुसार लिया जाना निश्चित किया गया है :-

क्र.सं.	पद का नाम	साक्षात्कार की दिनांक एवं समय
1	राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2013	दिनांक 10.08.16 से 12.08.16, 16.08.16 से 17.08.16, 22.08.16 से 24.08.16, 29.08.16 से 30.08.16, 01.09.16 से 02.09.16, 05.09.16 से 09.09.16, प्रातः 09:00 बजे से एवं दोपहर 01:30 बजे से
2	सहायक अभियोजन अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा, 2015 (Non TSP)	दिनांक 16.08.16 से 17.08.16, 22.08.16 से 24.08.16, 29.08.16 से 30.08.16, 01.09.16 से 02.09.16, 05.09.16 से 09.09.16, प्रातः 09:00 बजे से एवं दोपहर 01:30 बजे से

साथ ही अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि जिन अभ्यर्थियों ने विस्तृत आवेदन पत्र आयोग को प्रस्तुत नहीं किए हैं, वे अभ्यर्थी विस्तृत आवेदन पत्र आयोग की वेबसाइट <http://rpsc.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड कर लें और उसे साक्षात्कार की तिथि एवं समय पर पूर्ण भरा हुआ विस्तृत आवेदन पत्र (दो प्रतियों में) मय समस्त प्रमाण पत्रों की फोटो प्रतियों सहित आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

साक्षात्कार के समय सभी अभ्यर्थी अपने समस्त मूल प्रमाण पत्र मय फोटो प्रति भी साथ अवश्य लाएं अन्यथा साक्षात्कार से वंचित कर दिया जावेगा। साक्षात्कार पत्र डाक द्वारा प्राप्त नहीं होने पर अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट से भी प्राप्त कर सकते हैं।

शेष अभ्यर्थियों के साक्षात्कार का कार्यक्रम बाद में जारी किया जायेगा।

(गिरिराज सिंह कुशवाहा)
सचिव

क्रमांक : एफ – 6 (6) परीक्षा एजेण्डा/प.आ.'ख' /2016-17 /232

दिनांक : 22.07.2016

सम्पादक,

1. राजस्थान पत्रिका (राजस्थान राज्य के समस्त संस्करणों में प्रकाशनार्थ)
2. दैनिक नवज्योति (राजस्थान राज्य के समस्त संस्करणों में प्रकाशनार्थ)
3. दैनिक भास्कर (राजस्थान राज्य के समस्त संस्करणों में प्रकाशनार्थ)
4. राष्ट्रदूत (राजस्थान राज्य के समस्त संस्करणों में प्रकाशनार्थ)
5. पंजाब केसरी, महका भारत, डेली न्यूज, संवाद का सफर, खबर अजमेर को उक्त प्रेस नोट उनके समाचार पत्र के नवीनतम संस्करण में निःशुल्क प्रकाशनार्थ।
6. ई-टीवी न्यूज, जी-न्यूज, समय सहारा, एसआर न्यूज, आवाज टूडे, आईबीएन न्यूज एवं न्यूज इंडिया को उक्त प्रेस नोट उनके समाचार चैनल में निःशुल्क प्रसारण हेतु।

सहायक सचिव